न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र संख्या 411 / 2022 GCMS NO. 2022/686 **उनवानी छाजूराम बनाम नन्दकिशोर आदि** **अन्तर्गत धारा 111 / 128 एल.आर.एक्ट 1956**	

07.03.2025

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि वाके ग्राम **रायपुर अहीरान** स्थित आवेदक की **खातेदारी की भूमि** खसरा नम्बर 1201 / 164 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1202 / 948 रकबा 0.25 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 543 रकबा 0.24 हेक्टेयर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.11.2018 के अनुसार पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें अथवा दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम कर सीमा विवाद का स्थायी समाधान किये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा करें एवं पुलिस इमदाद से आदेश की पालना करवाई जाने की कृपा करें अथवा तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जावे कि वह पुनः सीमाज्ञान कर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर पत्थरगढी करवाये एवं सीमा विवाद का स्थाई समाधान करें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम **रायपुर अहीरान** पटवार हल्का **रायपुर अहीरान** तहसील बुहाना के हाल खाता संख्या **52** के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1201 / 164 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1202 / 948 रकबा 0.25 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 543 रकबा 0.24 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.65 हेक्टेयर प्रार्थी की एकांकी खातेदारी की भूमि है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 18.11.2018 द्वारा पटवारी हल्का रायपुर अहीरान के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 18.11.2018 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **रायपुर अहीरान** पटवार हल्का **रायपुर अहीरान** तहसील बुहाना स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1201 / 164 रकबा 0.16 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1202 / 948 रकबा 0.25 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 543 रकबा 0.24 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.65 हेक्टेयर की चारों सीमाओं की पटवारी हल्का **रायपुर अहीरान** की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 18.11.2018 के अनुसार 3,000 / – रूपये की फीस पर उपरोक्त भूमि के चारों तरफ लगने वाले खसरा नम्बरों के खातेदार अप्रार्थीगण की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 1201 / 164, खसरा नम्बर 1202 / 948, खसरा नम्बर 543 की चारों सीमाओं का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवाई जावे तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.03.21 13:39:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **07.03.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज0)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)